



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 मार्च, 2014 ई0

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 98/XXXVI(3)/2014/28(1)/2014

देहरादून, 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014” पर दिनांक 03 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2014**(अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2014)**

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में
उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप
में अधिनियमित किया जाता है :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2014 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 6 का प्रतिस्थापन 2. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (1) का खण्ड (ख) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-

(ख) नाम निर्दिष्ट सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा, उन व्यक्तियों में से जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनकी संख्या पाँच से अन्यून और चौदह से अनधिक होगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले सदस्यों में निम्न वर्ग को अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा; अर्थात् :-

- (1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति,
- (2) महिला,
- (3) अन्य पिछड़ा वर्ग,
- (4) अल्पसंख्यक समुदाय।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।